नामांतरण अपीलवादवाद सं0 51, 50, 49/2008–09
56, 57, 58,/2006–07
14, 15, 16/2005–06

(बिन्दिवा देवी वगै0 बनाम गेन्दिया देवी वगै0 एवं राज्य)

आदेश

अंचल कार्यालय, धनवार के नामांतरणवाद संख्या 621, 622, वो 623 सभी वर्ष 2004–05 में विज्ञ अंचल अधिकारी धनवार के द्वारा दिनांक 30.09.2004 में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण बिन्दिवा देवी पति नारायण यादव, नारायण यादव वो हीरालाल यादव, पेशरान : जोधी यादव साकिनान : मकतपुर , थाना : धनवार के द्वारा दायर किए गए तीनों अपीलवाद में निहित भूमि की विवरणी निम्न है:–

अपीलवाद सं0	मौजा	थानानं0	खातानं0	खेसरानं0	रकबा
51/2008–09	मकतपुर	88	09	313	0.0875ए0
			03	339	0.0125ए0
					कुल रकबा 0.10ए0
50/2008–09	मकतपुर	88	09	488	0.0800ए0
			09	503	0.0950ए0
					कुल रकबा 0.175ए0
49/2008–09	मकतपुर	88	09	313	0.0875ए0
			03	339	0.0125ए0
					कुल रकबा 0.10ए0

उर्पयुक्त उल्लेखित तीनों ही अपीलवाद में चूँकि पक्ष और विपक्ष के साथ–साथ भूमि भी एक ही प्रकार के खाता, खेसरा से संबंधित है , इसलिए उभयपक्ष की सुनवाई और उनके द्वारा दिए गए तर्क विचारण की कार्रवाई भी एक साथ की जा रही है। सर्वप्रथम तीनों ही अपीलवाद दायर किए जाने में विलंब अवधि को लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन एवं तर्क के आलोक में संतुष्ट होकर क्षांत किया गया। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता एकमत हैं कि वादगत खेसरा सं0 313, 339, 488 वो 503 का कुल खतियानी रकबा क्रमशः 0.35ए0, 0.05ए0, 0.16ए0 वो 0.19ए0 है तथा सभी के मूल रैय्यत रमन गोप थे। रमन गोप के फौत किए जाने के उपरांत उनके एकमात्र पुत्र गुलो महतो भूमि के दखलकार और अधिकारी हुए एवं गुलो महतो के फौत किए जाने के उपरांत उनके एकमात्र पुत्र

जागो महतो को वंशानुगत अधिकार के रूप में भूमि प्राप्त हुआ। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार जागो महतो की दो पत्नी क्रमशः–खगिया देवी वो जमुनी देवी थी। खगिया की दो पुत्री– फगुली वो कौशल्या हुई जबकि जमुनी की दो पुत्री– गेंदिया वो शांति हुई। परंतु इसी संबंध में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार खगिया को जागो महतो के रखैल(kept) के रूप में माने जाने का तर्क दिया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि जागो महतो के द्वारा उसके जीवनकाल में ही वादगत खेसरा सं0 503 के कुल रकबा 0.19ए0 में से 0.15ए0 भूमि की बिक्री निबंधित केवाला दि0 15.10.73 के द्वारा तुलसी महतो को कर दी गई थी। केता तुलसी महतो के द्वारा पुनः अपने क्रय किए गए कुल रकबा 0.15ए0 की बिक्री निबंधित केवाला दि0 17.03.79 के द्वारा खगिया देवी को कर दी गई। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार निबंधित केवाला दि0 17.03.79 में खगिया देवी के पति के रूप में जागो महतो का उल्लेख यह प्रमाणित करता है कि खगिया उनकी वैध ब्याहता पत्नी थी , न कि रखैल(kept)। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि खेसरा सं0 503 के उर्पयुक्त खरीदगी रकबा 0.15ए0 के अतिरिक्त इसी खेसरा में 0.04ए0 तथा खेसरा सं0 313 वो 339 के कुल खतियानी रकबा क्रमशः 0.35ए0 तथा 0.05ए0 में से 0.12ए0 एवं 0.05ए0 भूमि भी खगिया को वंशानुगत हक एवं हिस्से में प्राप्त थी। मो0 खगिया ने अपने खरीदगी के साथ–साथ हक एवं हिस्से में प्राप्त उर्पयुक्त भूखंड के खेसरा सं0 503 में 0.15ए0 तथा खेसरा सं0 313 में 0.12ए0 भूमि निबंधित दानपत्र दि0 05.05.1997 के द्वारा अपनी पुत्री फगुली देवी को हस्तांतरित कर दिया और इसप्रकार फगुली देवी उर्पयुक्त उल्लेखित भूखंड की दखलकार और स्वामिनी हुई। अपीलार्थीगण में से नारायण यादव वो हीरालाल यादव के द्वारा खेसरा सं0 313 में 0.12ए0 भूमि का क्रय निबंधित केवाला सं0 1412 दि0 17.04.2003 के द्वारा फगुली देवी से किया गया है जबकि बिन्दवा देवी के द्वारा खेसरा सं0 488, 503, तथा 339 में से रकबा क्रमशः 0.08ए0, 0.19ए0 तथा 0.05ए0 भूखंड का क्रय एक अन्य निबंधित केवाला सं0 1413 दि0 17.04.2003 के द्वारा खगिया वो उनकी पुत्री फगुली देवी से किया गया है। उर्पयुक्त खरीदगी के उपरांत केतागण

(अपीलार्थीगण) का वादगत भूखंड पर दखल और अधिकार स्थापित हुआ। इनमें से निबंधित केवाला सं0 1412 दि0 17.04.2003 के द्वारा खरीदगी भूखंड खेसरा सं0 313 में 0.12ए0 के नामांतरण हेतु नारायण यादव वो हीरालाल यादव के द्वारा दिए गए आवेदन पर अंचल अधिकारी, धनवार के न्यायालय में नामांतरणवाद संख्या 04/2004–05 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई जबकि निबंधित केवाला सं0 1413 दि0 17.04.2003 के द्वारा खरीदगी भूखंडखेसरा सं0 488, 503, तथा 339 में से रकबा क्रमशः 0.08ए0, 0.19ए0 तथा 0.05ए0 के नामांतरण हेतु बिन्दवा देवी के द्वारा दिए गए आवेदन पर अंचल अधिकारी, धनवार के न्यायालय में नामांतरणवाद संख्या 06/2004–05 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया कि इसके बाद गलत नियती से विपक्षी सं0 2–लक्ष्मण यादव तथा विपक्षी सं0 3–द्वारिका यादव ने उर्पयुक्त उल्लेखित भूखंड के साथ–साथ अन्य रकबा का क्रय निबंधित केवाला सं0 2919, 2920 तथा 2921 सभी दि0 02.07.2003 के द्वारा जागो महतो की एक अन्य पत्नी, स्व0 जमुनी देवी की पुत्री गेंदिया देवी वो शांति देवी से कर लिया। विपक्षीगण के नाम से निष्पादित उर्पयुक्त उल्लेखित तीनों केवाला के नामांतरण के संबंध में उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर अंचल अधिकारी, धनवार के न्यायालय में उन्हें नामांतरणवाद संख्या 621, 622, वो 623 सभी वर्ष 2004–05 के रूप में पंजीकृत किया गया और विपक्षीगण एवं अंचल अधिकारी की परस्पर मिलीभगत से अपीलार्थीगण के पूर्व क्रय में प्राप्त तथा नामांतरण हेतु दायर वाद संख्या 04/2004–05 तथा 06/2004–05 की कार्यवाही को लंबित रखकर नामांतरणवाद संख्या 621, 622, वो 623 सभी वर्ष 2004–05 की स्वीकृति दे दी गई। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी अभिमत है कि विपक्षीगण के नाम से निष्पादित किए गए नामांतरणवाद संख्या 621, 622, वो 623 सभी वर्ष 2004–05 के निष्पादन में भी गोपनीयता बरती गई, क्योंकि इन वाद अभिलेखों में कहीं भी पूर्व दायर वादों का उल्लेख अथवा अपीलार्थीगण के नाम से खास सूचना निर्गत कर उनके पक्ष को सुने जाने का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। अंत में अपने उर्पयुक्त उल्लेखित तर्क के आलोक में ही निम्न–न्यायालय वाद सं0 621, 622, वो 623 सभी वर्ष 2004–05 में विज्ञ अंचल अधिकारी धनवार के द्वारा दिनांक 30.09.2004 में पारित आदेश को निरस्त किए

जाने तथा अपीलार्थीगण का अपील स्वीकृत किए जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया। विपक्षी पक्ष के द्वारा वादगत भूखंड के अंश रकबा पर निर्मित आवासीय संरचना के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि यह पूर्व निर्मित है तथा विपक्षी पक्ष को पूर्व कय से प्राप्त है।

विज्ञ अधिवक्ता प्रतिपक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि जागो महतो की एकमात्र ब्याहता पत्नी जमुनी देवी ही थी। खगिया देवी के साथ उनके संबंध को Illicit relation मात्र ही कहा जा सकता है और इस आधार पर खगिया के संतानों को Ancestral property में विधि के अनुसार हिस्सा नहीं स्वीकार किया जा सकता है। विपक्षीगण के द्वारा वादगत भूमि का कय वैध उत्तराधिकारी से किया गया है, और वादगत भूमि पर उनके दखल के आलोक में ही निम्न–न्यायालय वाद सं0 621, 622, वो 623 सभी वर्ष 2004–05 में विज्ञ अंचल अधिकारी धनवार के द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी गई है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी अभिमत है कि कय के पश्चात वादगत खेसरा सं0 313 एवं 339 पर कमशः विपक्षी सं0 3 वो 2 श्री लक्ष्मण यादव तथा द्वारिका यादव के द्वारा घर भी बनाया जा चूका है, इसलिए सही उत्तराधिकार एवं दखल के आलोक में अपीलार्थीगण का अपील आवेदन खारीज किए जाने योग्य है।

उभयपक्ष के उर्पयुक्त तर्क , तर्क संबंधि दाखिल दावा–साक्ष्य और निम्न–न्यायालय मूल अभिलेखों के अवलोकन और उनके सम्यक विवेचन के उपरांत मैं पाता हूँ कि : –

1. अपीलार्थीगण के नाम से वादगत भूमि से संबंधित निबंधित विलेख पूर्व के तिथि के हैं। इन निबंधित विलेखों के नामांतरण हेतु निम्न–न्यायालय में दायर वाद संख्या 04/2004–05 तथा 06/2004–05 भी पूर्व के हैं। इन वादों को लंबित रखकर विपक्षीगण के बाद के कय और नामांरण हेतु दायर वादों में संबंधित पक्षकारों को सुने बिना उनकी स्वीकृति दिया जाना स्थापित नियम के विरुद्ध है।
2. अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत एवं दाखिल किए गए कम से कम दो निबंधित विलेख में किए गए इन्द्राज के अनुसार खगिया देवी को जागो महतो की पत्नी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस दृष्टिकोण से खगिया देवी के साथ जागो महतो के

संबंध को Illicit relation मात्र कहा जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता।

3. उभयपक्ष के परस्पर विरोधाभाषी व्याख्या के कारण वादगत भूमि पर भौतिक दखल की स्थिति भी स्पष्ट नहीं प्रतीत होती है।

अतः उर्पयुक्त उल्लेखित निष्कर्ष के आलोक में अपीलार्थीगण के अपील को स्वीकृत किया जाता है और निम्न–न्यायालय वाद संख्या 621, 622, वो 623 सभी वर्ष 2004–05 में विज्ञ अंचल अधिकारी धनवार के द्वारा दिनांक 30.09.2004 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए विधिसम्मत रूप में नामांतरणवाद की कार्रवाई हेतु सभी अभिलेख उन्हें रिमांड किया जाता है। पारित आदेश से उभयपक्ष को अवगत कराया जाए तथा आदेश की प्रति निम्न–न्यायालय के तीनों मूल अभिलेख के साथ अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल–अधिकारी धनवार को भेजी जाए।

11/11/08

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Seen. Pronouncing Advocate 14.11.08